

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2571]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 9, 2013/कार्तिक 18, 1935

No. 2571]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 9, 2013/KARTIKA 18, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2013

का.आ. 3410(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पारादीप (ओड़िशा) से रायपुर (छत्तीसगढ़) एवं राँची (झारखण्ड) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा "पारादीप-रायपुर-राँची पाइपलाइन" बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री प्रफुल्ल कुमार नायक, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पारादीप-रायपुर-राँची पाइपलाइन परियोजना, 325 डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751016, ओड़िशा को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील - बैरपाल	जिला - अनुगुल	राज्य - ओड़िशा		
गांव का नाम	प्लॉट नं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
जरपडा	1250	00	00	20

[फा. सं. आर-25011/16/2010-ओ. आर-I]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2013

S. O. 3410 (E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Paradip (Odisha) to Raipur (Chhattisgarh) & Ranchi (Jharkhand), “Paradip Raipur Ranchi Pipeline” should be laid by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Sri Prafulla Kumar Nayak, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Paradip-Raipur-Ranchi Pipeline Project, 325, District Centre, Chandrasekharpur, Bhubaneswar-751016 (Odisha).

SCHEDULE

Tehsil : BANARPAL	District : ANGUL	State : ODISHA		
Name of the Village	Plot No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
JARAPARA	1250	00	00	20

[F. No. R-25011/16 /2010-OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.